प्रेस नोट **27/06/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अवधि व अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 27-06-2024 को मु0अ0सं0 85/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेश पुत्र कन्हैया निवासी धोस कस्बा दुबारी, मु0अ0सं0 102/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रोहित पासवान पुत्र दिनेश पासवान निवासी बाऊडीह व मु0अ0सं0 448/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रामबली चौहान पुत्र श्यामलाल चौहान निवासी खैरा देवरा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं ₹2000-2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि व ₹4000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 27-06-2024 को मु0अ0सं0 113/1995 धारा 380/411 भादवि0 थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त लाल बहादुर पुत्र रामधनी हरिजन निवासी फतेहपुर मंडाव थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹4000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

02 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 27.06.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर पडरी कांझा मार्ग से मु0अ0सं0 45/24 धारा 363,366,376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त अमरजीत उर्फ छोटू पुत्र ओमप्रकाश राम निवासी खीरखाड़ थाना रानीपुर व थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर कचहरी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 87/24 धारा 363,366,376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त सिद्धार्थ राम पुत्र लक्ष्मीराम निवासी बडीरस्तीपुर थाना सरायलखन्सी तथा हलधरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सन्नी पुत्र लुटन निवासी नसीराबाद खुर्द थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

01 जुलाई से लागू हो रहे तीनों नवीन कानूनों के इम्प्लीमेंट किये जाने के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर ऑपरेटर व सीसीटीएनएस कर्मियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) को 01 जुलाई 2024 से लागू होने के संबंध में विभिन्न आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी को प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ सीसीटीएनएस की रैंकिंग में पैरामीटर्स की गहनता से अवलोकन किया गया तथा रैकिंग में और सुधार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।